पत्र सं0-सचल दल -ट्रांजिट पास -2013-14/1341/1314041 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(सचल दल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

दिनांक :: लखनऊ : 3 -9- , 2013

आदेश

इस प्रकार के तथ्य निरन्तर प्रकाश में आ रहे हैं कि पारगमन पत्र की आड़ में प्रदेश में सुनियोजित ढंग से करापवंचन किया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री सीमा एण्टरप्राइजिज बारगढ़, उड़ीसा बनाम कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 2013 एन.टी.एन. (वाल्यूम-52) 237 के प्रकरण में पारित आदेश में भी इस संबंध में विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गयी है ।

वर्णित परिस्थितियों में यह दृष्टिगत रखते हुए कि उक्त परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे करअपवंचना के प्रयासों को निष्फल किया जा सके , साथ ही समुचित रूप से संव्यवहार करने वालों को निर्बाध रूप से माल का परिवहन किए जाने के अवसर भी उपलब्ध रहें , यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान में लागू पारगमन पत्र से संबंधित प्रक्रिया को संशोधित करते हुए नई प्रक्रिया कार्यरूप में लायी जाए ।

अतः उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-52 तथा उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-58 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश , ऐसे किसी वाहन के संबंध में , जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य से होते हुए , राज्य के बाहर गन्तव्य के लिए जा रहा हो तथा धारा-50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल का पारगमन कर रहा हो , ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा माल के परिवहन हेतु निम्नानुसार विहित प्रपत्रों एवं विहित प्रक्रिया को यह स्पष्ट करते हुए अवधारित करता हूँ कि इसका अनुपालन न किए जाने की दशा में यह माना जाएगा कि वाहन के स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा परिवहित माल राज्य में बिक्री के उद्देश्य से लाया जा रहा है -

1- उपर्युक्तानुसार माल के पारगमन हेतु प्रत्येक व्यक्ति /ट्रांसपोर्टर द्वारा जिस वाहन से ऐसे माल का परिवहन किया जाना है , उसे विभागीय वेबसाइट comtaxup.nic.in पर ऐसे वाहन को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा । **यह कार्य केवल एक बार ही करना होगा** । इसके लिए निम्न तथ्य उपर्युक्त विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जायेंगे -

(1) वाहन सं0

(2) वाहन स्वामी का नाम तथा पता - परिवहन विभाग द्वारा जारी वाहन की आर0सी0 के अनुसार

(3) वाहन स्वामी का PAN

(4) वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर

(5) वाहन का चेसिस नम्बर

(6) वाहन का इंजन नम्बर

(7) ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम जिससे वाहन सम्बद्ध है

(8) ट्रांसपोर्ट कम्पनी के स्वामी का नाम व पता

(9) ट्रांसपोर्ट कम्पनी के स्वामी का PAN

(10) ट्रांसपोर्ट कम्पनी के स्वामी का मोबाइल नम्बर

(11) ट्रांसपोर्टर की सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या

उक्त सूचना अपलोड करते ही संबंधित वाहन राज्य के बाहर से माल का पारगमन प्रान्त में होकर अन्य राज्य में ले जाने के लिए रजिस्टर हो जाएगा और इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन नम्बर जैनरेट हो जाएगा तथा वाहन स्वामी तथा ट्रांसपोर्टर के मोबाइल नम्बर पर sms हो जाएगा । यह रजिस्ट्रेशन नम्बर ही प्रथम बार पारगमन घोषणा पत्र के लिए पासवर्ड का कार्य करेगा तथा वाहन सं0 लाग इन आई डी का कार्य करेगा ।पारगमन घोषणा पत्र हेतु रजिस्ट्रेशन नम्बर तो अपरिवर्तनीय होगा परन्तु यह पासवर्ड परिवर्तनीय होगा ।

ml

यदि अग्रेत्तर यह वाहन किसी अन्य ट्रांसपोर्ट कम्पनी से सम्बद्ध हो जाता है तो उसकी सूचना वेबसाइट पर जाकर संशोधित की जा सकेगी ; परन्तु यदि वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्रय कर लिया जाता है , अर्थात वाहन स्वामी में परिवर्तन हो जाता है तब संबंधित वाहन को पुन: उक्तानुसार रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा ।इसके लिए वाहन की पारगमन पत्र हेतु रजिस्ट्रेशन सं0 पासवर्ड तथा वाहन सं0 लाग इन आई डी का कार्य करेंगे ।

2- उपर्युक्तानुसार माल के पारगमन हेतु प्रत्येक व्यक्ति /ट्रांसपोर्टर द्वारा विभागीय वेबसाइट comtaxup.nic.in पर उपलब्ध पारगमन घोषणा पत्र फार्म- TDF-1 के प्रारूप में भरना अनिवार्य होगा । इस पारगमन घोषणा पत्र में वाहन को प्रश्नगत माल सहित प्रदेश के जिस भी सीमावर्ती स्थान से बाहर ले जाना है , उसकी घोषणा भी करनी होगी । यह 37 सीमावर्ती स्थान वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा इनमें में जिस भी क्षेत्र में होकर वाहन प्रदेश की सीमा से बाहर जाएगा उसका उल्लेख पारगमन घोषणा पत्र में करना अनिवार्य होगा ।साथ ही उस समयावधि को भी अंकित करना अनिवार्य होगा जिसमें संबंधित वाहन प्रदेश की सीमा में प्रवेश के उपरान्त गन्तव्य पर पहुंचेगा । इस समयावधि के पूर्व संबंधित वाहन के लिए अन्य पारगमन घोषणा पत्र पुन: जारी नहीं किया जा सकेगा ।

3- पारगमन घोषणा पत्र TDF-1 में परिवहन किए जा रहे माल का वजन की भी घोषणा करनी होगी । इसके लिए प्रान्त की सीमा में प्रवेश के पूर्व किसी निकटस्थ धर्मकाँटे से वजन कराकर इसका उल्लेख करना होगा । पारगमन घोषणा पत्र में रूट (route) की भी घोषणा करनी होगी जिसमें प्रदेश में प्रवेश तथा निकासी के स्थान के साथ-साथ तीन अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की घोषणा करना अनिवार्य होगा जहाँ होकर प्रश्नगत वाहन अन्तर्निहित माल सहित जायेगा ।

4- प्रान्त से होकर जाने वाले माल को प्रान्त के अन्दर विशिष्ट कारणों से , यदि ऐसा करना अपरिहार्य है , तो ऐसी स्थिति में पल्टी किया जा सकेगा ।इसके लिए निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना होगा -

(1) जिस वाहन के साथ अब तक माल का परिवहन किया गया है उसके पारगमन घोषणा पत्र हेतु पंजीयन संख्या के पासवर्ड के रूप में तथा ऐसे वाहन संख्या को लाग इन आई डी केरूप में प्रयोग करते हुए विभागीय वेबसाइट पर जाकर संबंधित TDF-1 को खोलकर इसमें उस वाहन का उल्लेख करना होगा जिसमें अब तक प्रयुक्त वाहन का समस्त माल पल्टी किया जाना है ।

(2) यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस वाहन में माल को पल्टी किया गया है वह पारगमन पत्र हेतु विभागीय वेबसाइट पर पंजीकृत हो ।यदि ऐसा नहीं है तो सबसे पहले उपर्युक्त निर्देश सं0-1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार वाहन को पारगमन घोषणा पत्र हेतु पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा ।साथ ही इस वाहन से संबंधित अन्य विवरण TDF-1 में अपेक्षानुरूप भरने होंगे ।

(3) उक्त के उपरान्त उस स्थान तथा दिनांक का उल्लेख करना होगा जहाँ यह माल पल्टी किया गया । इसके उपरान्त इस नए वाहन से प्रश्नगत माल का परिवहन अग्रेत्तर किया जाएगा ।

5- प्रदेश के अन्दर से गुजरने वाला उपरोक्त परिप्रेक्ष्य का माल सहित वाहन यदि पारगमन घोषणा पत्र में उल्लिखित रूट (route) से भिन्न रूट (route) में पाया जाएगा तो प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का आधार होगा कि कर अपवंचन के उद्देश्य से ऐसे माल को प्रान्त बाहर से प्रान्त में बिक्री के उद्देश्य से आयात किया जा रहा है , जिसके संबंध में आवश्यक अर्थदण्ड आदि की विधिक कार्यवाही की जाएगी । पारगमन घोषणा पत्र प्रदेश के अन्दर प्रवेश की घोषित तिथि से अधिकतम चार दिनों के लिए वैध होगा । यह पारगमन घोषणा पत्र उपरोक्त विभागीय वेबसाइट से इसे भरने के बाद डाउनलोड किया जा सकेगा ।

6- पारगमन घोषणा पत्र TDF-1 को प्रश्नगत वाहन के माल सहित प्रदेश की सीमा में प्रवेश के पूर्व ही भरना अनिवार्य होगा तथा प्रदेश के बाहर से प्रदेश में होते हुए प्रदेश के बाहर जाने वाले माल के साथ माल से संबंधित प्रपत्रों तथा बिल/बिल्टी आदि के अतिरिक्त इस पारगमन घोषणा पत्र TDF-1 को भी रखना अनिवार्य होगा ।

7- उक्त के संबध में यह भी अनिवार्य होगा कि संबंधित वाहन चालक / ट्रांसपोर्टर उपर्युक्त TDF-1 में घोषित अपने मोबाइल फोन से विभागीय मोबाइल नं0 09212357123 पर निम्न प्रारूप में यह sms कर देगा कि संबंधित पारगमन पत्र से संबंधित वाहन माल सहित प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया है । इस मोबाइल नम्बर पर किया गया sms विभागीय वेबसाइट पर स्वत; ही अपलोड हो जाएगा ।

mh

<u>Sms का प्ररूप</u>

प्रश्नगत पारगमन घोषणा पत्र TDF-1 का क्रमांक (इसके बाद स्पेस देकर) 1

"1" का अर्थ यह होगा कि वाहन प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया है । यह sms प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के तुरन्त बाद करना अनिवार्य होगा ।

8- यदि किसी वाहन में केवल प्रान्त के बाहर से लाते हुए प्रान्त के बाहर जाने योग्य माल घोषित है तो ऐसे वाहन का प्रथम बार सचल दल द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने पर पारगमन घोषणा पत्र पर संबंधित सचल दल अधिकारी द्वारा अपनी सील सहित भौतिक सत्यापन किए जाने की तिथि का अंकन करत हुए हस्ताक्षर कर दिया जाएगा और रास्ते में अन्य सचल दल इकाईयों द्वारा भी वाहन/माल की चैकिंग की जा सकेगी किन्तु सामान्य रूप से दो बार से अधिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा और एक बार भौतक सत्यापन किए जाने के उपरान्त पुन: भौतिक सत्यापन किए जाने की दशा में डिटेंशन मेमो / कारण बताओ नोटिस में इसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा ।

9- आन लाइन पारगमन घोषणा पत्र को डाउनलोड करते समय ट्रांसपोर्टर को सबसे अधिक तीन मूल्य वाली इन्वाइस /बिल (आच्छादित माल के मूल्य के घटते क्रम में) से संबंधित क्रेता तथा विक्रेता का नाम , टिन नम्बर , संबंधित इन्वाइस /बिल का क्रमांक व दिनांक तथा मूल्य को भी पारगमन घोषणा पत्र में अंकित करना होगा । यदि क्रेता अपंजीकृत है तो टिन के स्थान पर इस फील्ड में 09 लिखकर इसके बाद नौ बार शून्य लिखना होगा ।

10- संबंधित पारगमन पत्र के साथ ही एक अन्य पारगमन खारिजी प्रमाण-पत्र TDF-2 के प्रारूप में वेबसाइट पर उपलब्ध होगा । इसे प्रश्नगत वाहन के संबंधित माल सहित प्रदेश की उपर्युक्त सीमाक्षेत्रों में से चयन किए गए स्थान से प्रदेश की सीमा के बाहर जाने के 24 घंटे के अन्दर संबंधित वाहन चालक / वाहन स्वामी को विभागीय वेबसाइट पर ही भरकर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा । इस खारिजी प्रमाण-पत्र TDF-2 में उस स्थान का दिनांक सहित उल्लेख करना आवश्यक होगा जहाँ से इसे भरकर अपलोड किया जाएगा । साथ ही वाहन में लदा माल पूर्ववत है इसके साक्ष्य स्वरूप वजन की काँटा पर्ची का भी उल्लेख करना होगा । यह वजन जिस स्थान से प्रदेश की सीमा के बाहर जाना है , उसके निकटवर्ती धर्मकाँटे पर कराना अनिवार्य होगा । विभागीय वेबसाइट पर पारगमन खारिजी प्रमाण-पत्र TDF-2 अपलोड नहीं किए जाने तक , ऐसे वाहन के संबंध में पुन: पारगमन घोषणा पत्र जारी नहीं हो सकेगा ।

11- उक्त के संबंध में यह भी अनिवार्य होगा कि संबंधित वाहन चालक / ट्रांसपोर्टर उपर्युक्त TDF-1 में घोषित अपने मोबाइल फोन से विभागीय मोबाइल नं0 09212357123 पर निम्न प्रारूप में यह sms कर देगा कि संबंधित पारगमन पत्र से संबंधित वाहन माल सहित प्रदेश की सीमा से बाहर चला गया है । इस मोबाइल नम्बर पर किया गया sms विभागीय वेबसाइट पर स्वत; ही अपलोड हो जाएगा ।

<u>Sms का प्ररूप</u>

प्रश्नगत पारगमन घोषणा पत्र TDF-1 का क्रमांक (इसके बाद स्पेस देकर) 2

"2" का अर्थ यह होगा कि वाहन प्रदेश की सीमा सीमा से बाहर चला गया है । यह sms प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाने के तुरन्त बाद करना अनिवार्य होगा ।

12- यदि अग्रेत्तर जाँच पर खारिजी प्रमाण पत्र TDF-2 की घोषणा त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो यह माना जाएगा कि प्रश्नगत वाहन में लदा माल प्रान्त में ही अनलोड कर लिया गया है और ऐसी स्थिति में उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदि की विधिक कार्यवाही की जाएगी और ऐसे आरोपित अर्थदण्ड आदि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी ।

13- यदि किसी स्थान से राज्य से होते हुए , राज्य के बाहर गन्तव्य के लिए घोषित माल के संबंध में उपर्युक्त अवधारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है अथवा जाँच पर यह तथ्य प्रकाश में आते हैं कि प्रश्नगत माल अन्यथा भी

mu

प्रदेश में उतारा जाना है अथवा ऐसा माल प्रदेश में उतरते हुए पाया जाता है तब भी उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदि की विधिक कार्यवाही की जाएगी और ऐसे आरोपित अर्थदण्ड आदि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी समस्त निर्देश तदनुसार संशोधित समझे जायें तथा अब जारी इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।यह निर्देश दिनांक 15-09-2013 से प्रभावी होंगे।

ML 3.9.2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0।

(5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर, लखनऊ।

(11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

(14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा।

(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में।

(20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं।

(21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।

(23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।

(24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।

(25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।

(26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुँज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।

(27) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।

(28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।

(29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।

(30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।

(31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।

(32) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।

(33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।

(34) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।

(35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।

(37) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर।

(38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

(39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।

(41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

(42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।

(43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी ।

(44) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।

(45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(46) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(48) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(49) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(50) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(54) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(56) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।

(57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।

(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,30 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उ0 प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0) ।

(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उराखण्ड ।

(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

3.9.13

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश